

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमड़खान-कनोली-सैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावना :-

इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं. 6229/(1)111(2)/10-19(प्रा.आ.)/09 दिनांक 18.10.2010 द्वारा 8.00 किमी. लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त हुई है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण रौली देवलीखेत-चमड़खान मोटर मार्ग किमी. 8.00 हे.मी. 4-6 से किया जाना प्रस्तावित है तथा मार्ग निर्माण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ना व उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों को बाजार तक पहुँचाना एवं क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना।

मार्ग के निर्माण हेतु दो स्थानों से प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये जो इस प्रकार है :-

समरेखन न.-1

यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग कनोली-देवलीखेत-चमड़खान मोटर मार्ग किमी. 8.00 हे.मी. 4-6 के अन्तिम विन्दु से प्रारम्भ होकर इस क्षेत्र के अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुए टाना,मेहलखण्ड, पीपलखण्ड, सैकुड़ा, कनोली एवं नौगाँव ग्रामों को जोड़ता है। इस समरेखन में लागत एवं मार्ग की लम्बाई कम होने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलेगा। अतः इस समरेखन को स्वीकृत किया गया है।

समरेखन न.-2

यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्र पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग रौली देवलीखेत-चमड़खान मोटर मार्ग किमी. 8.00 हे.मी. 8-10 के अन्तिम विन्दु से प्रारम्भ होकर इस क्षेत्र के अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुए टाना,मेहलखण्ड, पीपलखण्ड, सैकुड़ा, कनोली एवं नौगाँव ग्रामों को जोड़ता है। किन्तु इस समरेखन में अधिक लागत एवं मार्ग की लम्बाई बढ़ने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

मार्ग में आरक्षित वन भूमि नहीं पड़ती है सिविल भूमि 0.150 हे. एवं 0.248हे. वन पंचायत कुल वन भूमि 0.398 हे.प्रभावित होती है। प्रस्तावित मार्ग से टाना,मेहलखण्ड, पीपलखण्ड, सैकुड़ा, कनोली एवं नौगाँव ग्रामों को जोड़ता है। मार्ग के निर्माण में 204 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। पेड़ों की गणना 7मी. चौड़ाई में की गयी है। मार्ग वन भूमि /नाप भूमि से गुजर रहा है। वैकल्पिक समरेखन भी लगाया गया है जिसमें स्वीकृत समरेखन से कम वन पंचायत प्रभावित होती है। मानचित्र में वैकल्पिक समरेखन नीले रंग से दर्शाया गया है व स्वीकृत समरेखन लाल रंग से दर्शाया गया है। मोटर मार्ग रौली-देवलीखेत-चमड़खान मोटर मार्ग किमी. 8.00 हे.मी. 4-6 से होकर गुजरता है। वन भूमि प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक की आख्या सत्यापित कर पृष्ठ संलग्न है। 5हे. से कम वन भूमि प्रभावित होने के कारण लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है मलुवा निस्तारण योजना एवं पांच वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

उपरोक्त दोनों समरेखनों के गुणावगुण पर विचार के उपरान्त समरेखन नं.-1 जो मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है, अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।


पेज-2

उद्देश्य :-

. इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभान्वित होंगे एवं उक्त मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र की समुचित विकास हो सकेगा तथा ग्रामवासियों को यातयात कास्तकारों एवं अन्य दैनिक/सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

संस्तुति :-

इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 किमी. एवं चौड़ाई 9 मीटर में किया जाना अति आवश्यक है जिस हेतु इस मार्ग के बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव है 0.398 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर पूर्व स्वीकृति हेतु भेजे जा रहे है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत


अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत